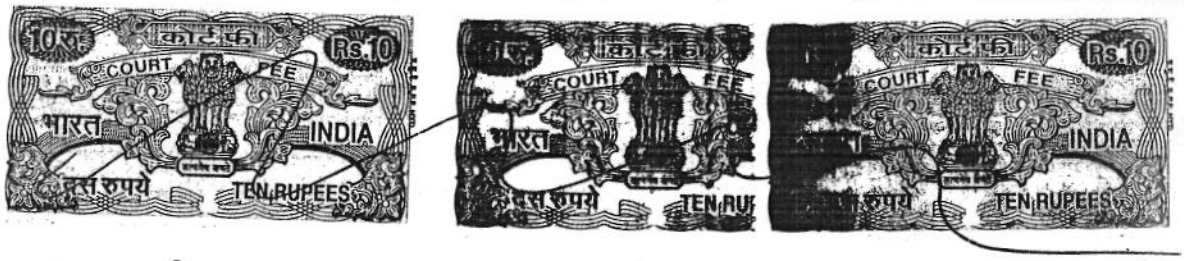

(14)

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

समक्ष श्रीमान् म.प्र. राजस्व मण्डल भोपाल केम्प, भोपाल

1/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/01977

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. ..../2018

बेतवा शिक्षा समिति, शिशु मंदिर कुरवई,
जिला विदिशा द्वारा अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सोनी
पुत्र स्व.श्री गौरी शंकर सोनी, आयु 45 वर्ष,
निवासी– वार्ड नं. 12, मेन मार्केट, कुरवाई,
तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.)

(111)

.... पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

अभिभाषक श्री मुकुन्द अग्रवाल
द्वारा आज दिनांक 28.1.2018
को पेश।
अधीक्षक

आनन्द कुमार जैन पुत्र श्री फूलचंद जैन,
निवासी– वार्ड नं. 10, तहसील कुरवाई,
जिला विदिशा म.प्र.

.... अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

रेखा ठाकुर क्र.1659 सां.ले. /2014 राजस्व आयुक्त, भोपाल

अधिनस्थ अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 11ए/15–16, बेतवा शिक्षा समिति, शिशु मंदिर कुरवई, विरुद्ध आनन्द कुमार जैन, में पारित आदेश दिनांक 14.11.17 से असंतुष्ट होकर, यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र, निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के निर्विवादित तथ्य

1. यह कि अनावेदक ने अपने स्वामित्व की कुरवाई, जिला विदिशा की भूमि खसरा क्रमांक 04/2 रकबा 0.209 हेक्टर, भूमि, पंजीकृत दान पत्र दिनांक 18.02.98 से पुनरीक्षणकर्ता संस्था को दान की थी।

2. यह कि पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा उक्त पंजीकृत दान पत्र के निष्पादन के उपरान्त समस्त राजस्व अभिलेखों में, उक्त भूमि संस्था के नाम से नामांतरित करा ली गयी थी।

3. यह कि पुनरीक्षणकर्ता संस्था ने, उक्त भूमि में से 0.093 हेक्टर भूमि का व्यपवर्तन आदेश अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई, जिला विदिशा के प्र. क्र. 4/अ–2/2002–03 दिनांक 16.01.2003 से प्राप्त कर लिया है।

4. यह कि पुनरीक्षणकर्ता संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री भैरोसिंह पुत्र स्व. श्री सुरजन सिंह एवं महेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री जानकी प्रसाद गुप्ता ने अनावेदक से मिलीभगत

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1977

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/01/2019	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 11/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम पर दर्ज थी। अनावेदक द्वारा दिनांक 21.02.2007 को संपादित प्रतिसंहरण दान-पत्र (REVOCATION OF GIFT DEED) के आधार पर नामांतरण हेतु तहसीलदार को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 15.09.2014 द्वारा अनावेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 29.07.2015 द्वारा निरस्त की जाकर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 14.11.2017 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों ने स्वीकृत की विधि तथा 1998 रा.नि. 231 (खण्डपीठ) बाला प्रसाद विरुद्ध प्रेम नारायण में पारित निर्णय के विरुद्ध आलोच्य आदेश पारित किए गए हैं। उक्त न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हकधारी व्यक्ति द्वारा निष्पादित अभिलेख के आधार पर ही नामांतरण किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त अभिमत के विरुद्ध आलोच्य	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

आदेश दे दिए गए हैं।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रतिसंहरण दान पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति पुनरीक्षणकर्ता संस्था के द्वारा अधिकृत व्यक्ति नहीं थे, ना ही वे उक्त अभिलेख निष्पादित करते वक्त संस्था के पदाधिकारी थे, उसके बाद भी उनके द्वारा उक्त दस्तावेज अवैधानिक रूप से निष्पादित किया गया। ऐसे अवैधानिक दसतावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों ने आलोच्य आदेश पारित किए हैं, जो अपास्त किए जाने योग्य हैं।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि तहसीलदार द्वारा उपपंजीयक कार्यालय में संपादित दानपत्र दि. 21.02.2007 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण अनावेदक के नाम पर किया गया है। उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकृत दस्तावेज प्रतिसंहरण दान-पत्र राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामांतरण स्वीकृत किया गया है जिसकी पुष्टि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने आदेश में की है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होकर स्थिर रखे जाने योग्य हैं। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि तहसीलदार का आदेश उचित है, जिसकी पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 यथावत रखा जाता है।

उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापस हो।

(एम.गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य